[2020] 4 उम. नि. प. 236

निर्भय कुमार और अन्य

बनाम

बिहार राज्य और अन्य

[2019 की रिट याचिका (सिविल) सं. 227 के साथ 225, 582, 591, 592, 1491 और 2020 की रिट याचिका (सिविल) सं. 106, 273, 278, 345, 433, 490 और 2020 की विशेष इजाजत याचिका (सिविल) सं. 4370]

11 जून, 2020

न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति एम. आर. शाह और न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमणियम्

संविधान, 1950 – अनुच्छेद 32, 133 और 142 – रिट याचिका – रिट याचियों द्वारा पूर्व-निर्णय के आधार पर स्वयं को पूर्व-निर्णय के याचियों के समान अधिकारों का दावा करना – पूर्व-निर्णय में सक्षम न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया जाना कि यह निर्णय भविष्य में पूर्व-निर्णय के रूप में नहीं समझा जाएगा – इस आधार पर याचियों का दावा खारिज किया जाना – अपील – यदि अभिलेख पर यह सिद्ध कर दिया जाता है कि किसी मामले में सक्षम न्यायालय द्वारा विशिष्ट परिस्थितियों में कोई निर्णय दिया जाता है और उस न्यायालय द्वारा अभिकथित तौर पर, यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले में दिया गया निर्णय भविष्य में, पूर्व-निर्णय के रूप में नहीं समझा जाएगा तो यदि ऐसे निर्णय का पूर्व-निर्णय के रूप में अवलंब लेते हुए कोई दावा किया जाता है तो वह कायम रखे जाने योग्य नहीं होगा और आरंभतः, खारिज कर दिया जाएगा ।

वर्तमान मामले में, इन रिट याचिकाओं में उद्भूत होने वाले क्रमवार तथ्यों और घटनाओं को सर्वप्रथम उल्लिखित करना आवश्यक है :– (i) बिहार कर्मचारी चयन आयोग (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'आयोग' कहा गया है) द्वारा बिहार राज्य में 1510 उप-निरीक्षक के पदों पर नियुक्ति के लिए 2004 की विज्ञापन सं. 704 जारी किया गया था ।

शारीरिक परीक्षण और उसके पश्चात् लिखित परीक्षा, चयन प्रक्रिया के भाग थे । 2004 में विज्ञापित पदों के चयन के अनुसरण में, वर्ष 2006 में चयन आयोजित किया गया था और उसमें चयनित अभ्यर्थियों को वर्ष 2008 में लिखित परीक्षा देने की अनुज्ञा दी गई थी । परिणाम, तारीख 30 मई, 2008 को घोषित हुआ था । (ii) मॉडल उत्तर में कतिपय त्रुटियों के बारे में परिणाम को पटना उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी । आयोग ने एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की और उत्तर प्रपत्रों की पुनः संवीक्षा कराई । परिणामतः, 160 मूल रूप से चयनित अभ्यर्थियों को हटाने की अपेक्षा की गई । किन्तु राज्य सरकार ने उन 160 मूल रूप से चयनित अभ्यर्थियों को भी कायम रखने का विनिश्चय किया । परिणामतः, 639 और रिक्तियां, 160 मूल रूप से चयनित अभ्यर्थियों से समायोजित करने के लिए जोड़ी गई और रोस्टर को कायम रखा गया । (iii) कुछ अभ्यर्थी अब भी उत्तरों को सही करने और 639 रिक्तियों में बढ़ोतरी करने से असंतुष्ट रहे, इसलिए, उन्होंने पटना उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएं फाइल कीं और अंततोगत्वा, मामले को संबंधित अपीलों के साथ 2011 की सी.ए. सं. 1240-1241 के अधीन इस न्यायालय के समक्ष लाया गया । इस न्यायालय ने यह नोटिस किया कि पुलिस उप-निरीक्षक के 299 पदों पर नियुक्ति के लिए अध्यपेक्षा राज्य सरकार से आयोग द्वारा प्राप्त की गई थी । इस न्यायालय ने आयोग को 299 उप-निरीक्षक के पदों के लिए नए सिर से परीक्षा आयोजित करने और मात्र उन अपीलार्थियों जो उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याची थे या उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित थे (न्यायालय में दी गई सूची के अनुसार कुल 223) को शारीरिक परीक्षण के साथ लिखित परीक्षा में उपस्थित होने का निर्देश दिया । आयोग को उपर्युक्त निर्देश जारी करते हुए तारीख 2 फरवरी, 2011 को अपीलों का विनिश्चय किया गया । (iv) तत्पश्चात्, इस न्यायालय ने विनिश्चित अपीलों में फाइल कतिपय अंतरिम आवेदनों पर विचार करने के पश्चात् तारीख 28 नवम्बर, 2011 के आदेश द्वारा उन सभी आवेदकों को अनुज्ञा प्रदान कर दी जो उन सभी अभ्यर्थियों के समान स्थिति में थे जिन्हें 299 उप-निरीक्षक के पदों की परीक्षा में उपस्थित होने के लिए

अर्ह पाया गया था । (v) इस न्यायालय के तारीख 2 फरवरी, 2011 के आदेश के अनुसरण में 299 पदों को भरने के लिए तारीख 28 जून, 2011 को विज्ञापन सं. 704/511 जारी किया गया था । चयन प्रक्रिया के लिए विज्ञापन में निम्नलिखित उपबंधित था जिनमें समाविष्ट था – (क) शारीरिक मानक और परीक्षा, (ख) लिखित परीक्षा । शारीरिक परीक्षण में सफल घोषित अभ्यर्थियों को वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा देना अपेक्षित था । (vi) जैसा कि उपर्युक्त उल्लिखित किया गया है, 2004 के विज्ञापन के चयन के अनुसरण में 1510 + 639 अर्थात् 2149 अभ्यर्थियों की चयन सूची का परिणाम घोषित किया गया और उनकी नियुक्तियां की गईं । उच्च न्यायालय ने एक रिट याचिका में उन अधिक पिछड़े वर्ग से संबंधित 67 अभ्यर्थियों को नियुक्त करने का आदेश भी जारी किया था जिन्हें गलत तौर पर छोड़ दिया गया था । राज्य ने उन 67 अभ्यर्थियों को भी नियुक्त किया और उन्हें भी बनाए रखा जिन्हें 186 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्त करने का विनिश्चय करते समय हटा दिया गया था । उच्च न्यायालय के समक्ष 186 अभ्यर्थियों की नियुक्ति को चुनौती दी गई थी और अंततोगत्वा मामला इस न्यायालय के समक्ष आया जिसमें इस न्यायालय ने तारीख 15 अगस्त, 2005 को यथा स्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था । (vii) तारीख 28 नवम्बर, 2011 के वर्गीकरण को ध्यान में रखते हुए 299 पदों के लिए पृथक् चयन में, 2479 अभ्यर्थियों का चयन प्रक्रिया में भाग लेना अपेक्षित था । इस न्यायालय ने 2007 की सी.ए. सं. 2795-2797 में और अन्य संबंधित मामलों में, तारीख 5 मई, 2017 के आदेश द्वारा शारीरिक परीक्षण के साथ प्रक्रिया जारी करने का आदेश पारित किया था । इस न्यायालय के नोटिस में यह लाया गया था कि मात्र 2192 अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षण के लिए चयन में उपस्थित हुए थे जिनमें से मात्र 232 अभ्यर्थियों ने अर्हता प्राप्त की और अंततोगत्वा, 299 पदों के चयन की प्रक्रिया में मात्र 97 अभ्यर्थी ही अंतिम रूप से चयनित हुए थे । इस न्यायालय ने उन 97 अभ्यर्थियों को नियुक्त करने की अनुज्ञा दी थी और उन 186 अभ्यर्थियों को भी नियुक्त करने की अनुज्ञा दी थी जिन्हें राज्य ने 67 अधिक पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी को

समायोजित करने के लिए नियुक्त करने का विनिश्चय किया था । (viii) बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जिन्होंने 2011 की विज्ञापन सं. 511 के अनुसरण में आवेदन किया था, शारीरिक परीक्षण में उपस्थित नहीं हुए और उनमें से अधिकतर जो उपस्थित हुए थे असफल घोषित हुए थे । सभी रिट याची, वे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 2011 की विज्ञापन सं. 511 के अनुसरण में आवेदन किया था जो या तो शारीरिक परीक्षण में भाग नहीं लिए थे या भाग लिए थे और असफल हो गए थे । इस न्यायालय ने तारीख 14 सितम्बर, 2017 को 2017 की सी.ए. सं. 2795-2797 में यह निर्देश दिया है कि 1035 अभ्यर्थियों को जो चयन के लिए उपस्थित नहीं हुए थे, शारीरिक परीक्षण के अध्यधीन जिनमें 133 अभ्यर्थी भी सम्मिलित हैं, यदि वे अन्यथा सम्मिलित नहीं हैं तो उन्हें शारीरिक परीक्षण देने की अनुज्ञा दी जाए । (ix) 2017 की सी.ए. सं. 2805 और 2017 की सी.ए. सं. 2806-2810 में अवमान याचिकाएं फाइल की गई थीं जिसमें अपीलों का निपटारा 2007 की सी.ए. सं. 2795-2797 के साथ तारीख 14 सितम्बर, 2017 को किया गया था । इस न्यायालय ने तारीख 8 मई, 2017 के अपने आदेश के प्रतिनिर्दिष्ट किया और यह मत अपनाया कि इस न्यायालय ने विनिर्दिष्ट संवर्ग में से 133 अभ्यर्थी को चिन्हित और वर्गीकृत किया है और उन्हें 186 अभ्यर्थियों के साथ रखा है, इसलिए, 133 अभ्यर्थियों के लिए बिना चिकित्सीय परीक्षा के कोई अन्य प्रक्रिया नहीं अपनाई जा सकती है । इस न्यायालय ने यह मत अपनाया कि 133 अभ्यर्थियों को एक अन्य लिखित परीक्षा और शारीरिक योग्यता परीक्षण में भाग लेने की अनुज्ञा नहीं दी जानी चाहिए । उक्त आदेश, संविधान, 1950 के अनुच्छेद 142 के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करते हुए पारित किया गया था और इसे पूर्व-न्याय के रूप में नहीं समझे जाने का कथन किया गया था । (x) कतिपय आवेदकों ने भी अवमानना याचिका में पक्षकार बनाए जाने के लिए आवेदन फाइल किया जिन्हें उस अवमान प्राधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन करने की अनुज्ञा दी गई जिन्हें उक्त अभ्यावेदन को विनिश्चय करने का निर्देश दिया गया था । 133 अभ्यर्थियों जो इस न्यायालय के आदेश में निर्दिष्ट थे और तारीख 24 अक्तूबर, 2018 के आदेश में शारीरिक परीक्षण के अध्यधीन नहीं थे

उन्हें विज्ञापन सं. 511/2011 के अनुसरण में पुलिस उप-निरीक्षक के रूप में नियुक्ति दी गई । 133 अभ्यर्थियों की नियुक्ति के पश्चात् जो शारीरिक परीक्षण के अध्यधीन नहीं थे जो इन रिट याचिकाओं में याची हैं, ने आयोग और सरकार के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया यह दावा करते हुए कि उनके साथ ही साथ 133 अभ्यर्थी भी उस 233 मूल अभ्यर्थियों की सूची के भाग हैं जिन्हें इस न्यायालय के तारीख 2 फरवरी, 2011 के आदेश द्वारा 299 पदों के विरुद्ध चयन में भाग लेने की अनुज्ञा दी गई थी, और शारीरिक परीक्षण नहीं देने का लाभ दिया गया था जिसे इस न्यायालय के आदेश द्वारा 133 अभ्यर्थियों तक विस्तारित किया गया था, याचियों तक भी विस्तारित किया जाना चाहिए और याचियों को भी पुलिस उप-निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए जैसा कि 133 अभ्यर्थियों को नियुक्त किया गया था । याचियों द्वारा कतिपय अभ्यावेदन दिए गए थे । याचियों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया गया । अतएव, याचियों ने इन रिट याचिकाओं को फाइल किया है । न्यायालय द्वारा रिट याचिकाओं को खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – यह न्यायालय इसे अत्यधिक स्पष्ट करता है कि 133 अभ्यर्थियों के चयन और नियुक्ति के संबंध में इस न्यायालय का आदेश, संविधान, 1950 के अनुच्छेद 142 के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करते हुए, मुकदमे की विशिष्ट पृष्ठभूमि में पारित किया गया है और इसे पूर्व-निर्णय के रूप में नहीं समझा जाएगा । याचियों ने यह दावा किया है कि उन्हें शारीरिक परीक्षण के अध्यधीन नहीं होने का वही फायदा विस्तारित की जानी चाहिए जैसी छूट 133 अभ्यर्थियों के संबंध में मंजूर की गई है । याचियों के इस दावे को स्वीकार नहीं करने का एक से अधिक कारण है । प्रथमत:, 133 अभ्यर्थियों के संबंध में शारीरिक परीक्षण के अध्यधीन उन्हें नहीं रखने का विशिष्ट आदेश दिया गया है और शारीरिक परीक्षण के बिना उनकी नियुक्ति का आदेश दिया गया है जिसे इस न्यायालय ने सुस्पष्टत:, यह अभिनिर्धारित किया है कि इसे पूर्व-निर्णय के रूप में नहीं समझा जाएगा । आदेश, जब विनिर्दिष्टत:, यह अभिनिर्धारित करता है कि इसे पूर्व-निर्णय के रूप में

नहीं समझा जा सकता है तो वर्तमान रिट याचिकाओं में रिट याची द्वारा उक्त आदेश के फायदे का दावा नहीं किया जा सकता है, विनिर्दिष्टत: तब जब अन्यथा रिट याची इस न्यायालय का यह समाधान करने में समर्थ नहीं रहे हैं कि जब उन्होंने या तो शारीरिक परीक्षण नहीं दिया है या शारीरिक परीक्षण में असफल रहे हैं तो क्यों उन्हें इस प्रक्रम पर, पुलिस उप-निरीक्षक के रूप में नियुक्ति दी जानी चाहिए । आयोग द्वारा फाइल प्रति-शपथपत्र में, सुस्पष्टत: यह कथन किया गया है कि 299 पदों के विरुद्ध चयन के लिए 2192 अभ्यर्थी चयन के लिए उपस्थित हुए थे और मात्र 232 अभ्यर्थियों ने ही शारीरिक परीक्षण उत्तीर्ण किया है । इस न्यायालय द्वारा 2017 की अवमान याचिका सं. 2795-2797 में पारित तारीख 14 सितम्बर, 2017 के आदेश में भी उन अभ्यर्थियों की संख्या उल्लिखित की गई है जो 299 पदों के लिए चयन प्रक्रिया के लिए अध्यधीन थे जिनकी संख्या 2479 अभ्यर्थी उल्लिखित है । इस न्यायालय के तारीख 14 सितम्बर, 2017 के आदेश से, यह भी स्पष्ट होता है कि 1035 अभ्यर्थी चयन के लिए उपस्थित नहीं हुए थे, इस न्यायालय ने उन्हें भी शारीरिक परीक्षण देने का निर्देश दिया था, इस प्रकार, बड़ी संख्या में वे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने शारीरिक परीक्षण नहीं दिया या शारीरिक परीक्षण दिया और असफल हो गए थे । उन सभी अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए निर्देश देना जिनमें याची भी सम्मिलित हैं, जिन्होंने शारीरिक परीक्षण नहीं दिया है या दिया है और असफल हो गए हैं, अंतहीन प्रक्रिया होगी और ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या हजारों से अधिक है जो यह दावा कर सकते हैं कि यद्यपि, उन्होंने 299 पदों के चयन के अनुसरण में, शारीरिक परीक्षण नहीं दिया है या शारीरिक परीक्षण में असफल हो गए हैं, उन्हें भी 133 अभ्यर्थियों के समान स्थिति होने के नाते नियुक्त किए जाने चाहिए । इस न्यायालय ने तारीख 1 नवम्बर, 2018 को एक अन्य आदेश भी पारित किया है । यह उल्लिखित करना भी सुसंगत है कि कतिपय अभ्यर्थियों जिनमें से कुछ हमारे समक्ष याची हैं, ने भी 2017 की अवमान याचिका सं. 2805 में 2018 की अवमान याचिका सं. 1711 में पक्षकार बनाने के लिए आवेदन फाइल किया था जिसे तारीख 1 नवम्बर, 2018 को नामंजूर कर दिया था और तारीख 1 नवम्बर, 2018 के आदेश में, यद्यपि, यह भी

मत व्यक्त किया गया था कि आवेदक, बिहार राज्य के समक्ष सद्भावपूर्वक अपील करने के लिए अभ्यावेदन करने को स्वतंत्र हैं और बिहार राज्य उस पर विचार करने के लिए स्वतंत्र हैं किन्तु उस दशा में यदि अभ्यावेदन नामंजूर कर दिया जाता है तो इससे किसी भी न्यायालय में, कोई कार्यवाही/अपील करने का अधिकार उद्भूत नहीं होगा । इस प्रकार, इस न्यायालय द्वारा पारित तारीख 1 नवम्बर, 2018 का आदेश, स्पष्टत: यह उपदर्शित करता है कि उस दशा में यदि बिहार राज्य द्वारा 133 अभ्यर्थियों के समान अनुतोष का दावा करते हुए आवेदकों के अभ्यावेदन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है तो इससे उन्हें किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही करने का अधिकार उद्भूत नहीं होगा । हम, संविधान, 1950 के अनुच्छेद 32 के अधीन इन कार्यवाहियों में उक्त अनुतोष को मंजूर करना स्वीकार नहीं करते हैं । पूर्ववर्ती चर्चा को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय का यह मत है कि याची उन अनुतोषों को पाने के हकदार नहीं है जैसा कि रिट याचिकाओं में दावा किया गया है । (पैरा 16, 17, 18, 19, 20 और 21)

आरंभिक (सिविल रिट) याचिका : **2019 की रिट याचिका (सिविल) सं. 227 के साथ 225, 582, 591, 592, 1491 और 2020 की रिट याचिका (सिविल) सं. 106, 273, 278, 345, 433, 490 और 2020 की विशेष इजाजत याचिका (सिविल) सं. 4370.**

संविधान, 1950 के अनुच्छेद 32 के अधीन रिट याचिका ।

पक्षकारों की ओर से सर्वश्री जयंत भूषण, (सुश्री) ऐश्वर्या भाटी, ज्येष्ठ अधिवक्तागण, एम. एम. सिंह, रामेश्वर प्रसाद गोयल, आनंद नंदन, राजकिशोर चौधरी, शकील अहमद, चिन्मय प्रदीप शर्मा, पुनीत तनेजा, शांतनू सागर, कुंदन कुमार मिश्रा, अक्षत श्रीवास्तव, अमित पवन, समीर अली खान, अरुण के.

सिन्हा और नीरज शेखर, अधिवक्तागण

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने दिया ।

न्या. भूषण – याचियों द्वारा संविधान, 1950 के अनुच्छेद 32 के अधीन ये रिट याचिकाएं फाइल की गई हैं, यह दावा करते हुए कि उन्हें उन 133 अभ्यर्थियों के समान बिहार राज्य में पुलिस उप-निरीक्षक के पद पर नियुक्त किया जाए जिन्हें मात्र चिकित्सीय परीक्षण के अध्यधीन और न कि शारीरिक परीक्षण के अध्यधीन, इस न्यायालय के आदेशों के अधीन नियुक्त किया गया है । बिहार राज्य के साथ ही साथ बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 2019 की रिट याचिका सं. 227 में शपथ-पत्र फाइल किया गया है जिस रिट याचिका को मुख्य रिट याचिका के रूप में समझा गया है । इन सभी रिट याचिकाओं में रिट याचियों द्वारा दिए गए तथ्य और दावे एक ही आधार पर आधारित हैं, इन सभी रिट याचिकाओं का विनिश्चय करने के लिए 2019 की रिट याचिका सं. 227 में दिए गए अभिवचनों के प्रति निर्दिष्ट करना पर्याप्त होगा । बिहार राज्य द्वारा आयोजित उप-निरीक्षक के पदों पर चयन के बारे में मुकदमेबाजी का इतिहास नियंत्रित रहा है ।

2. इन रिट याचिकाओं में उद्भूत होने वाले क्रमवार तथ्यों और घटनाओं को सर्वप्रथम उल्लिखित करना आवश्यक है :–

i. बिहार कर्मचारी चयन आयोग (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'आयोग' कहा गया है) द्वारा बिहार राज्य में 1510 उप-निरीक्षक के पदों पर नियुक्ति के लिए 2004 की विज्ञापन सं. 704 जारी किया गया था । शारीरिक परीक्षण और उसके पश्चात् लिखित परीक्षा, चयन प्रक्रिया के भाग थे । 2004 में विज्ञापित पदों के चयन के अनुसरण में, वर्ष 2006 में चयन आयोजित किया गया था और उसमें चयनित अभ्यर्थियों को वर्ष 2008 में लिखित परीक्षा देने की अनुज्ञा दी गई थी । परिणाम, तारीख 30 मई, 2008 को घोषित हुआ था ।

ii. मॉडल उत्तर में कतिपय त्रुटियों के बारे में परिणाम को

पटना उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी । आयोग ने एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त किया और उत्तर प्रपत्रों की पुन: संवीक्षा कराया । परिणामत:, 160 मूल रूप से चयनित अभ्यर्थियों को हटाए जाने की अपेक्षा की गई । किन्तु राज्य सरकार ने उन 160 मूल रूप से चयनित अभ्यर्थियों को भी कायम रखने का विनिश्चय किया । परिणामत:, 639 और रिक्तियां, 160 मूल रूप से चयनित अभ्यर्थियों से समायोजित करने के लिए जोड़ी गई और रोस्टर को कायम रखा गया ।

iii. कुछ अभ्यर्थी अब भी उत्तरों को सही करने और 639 रिक्तियों में बढ़ोतरी करने से असंतुष्ट रहे, इसलिए, उन्होंने पटना उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएं फाइल कीं और अंततोगत्वा, मामले को संबंधित अपीलों के साथ 2011 की सी.ए. सं. 1240-1241 के अधीन इस न्यायालय के समक्ष लाया गया । इस न्यायालय ने यह नोटिस किया कि पुलिस उप-निरीक्षक के 299 पदों पर नियुक्ति के लिए अध्यपेक्षा राज्य सरकार से आयोग द्वारा प्राप्त की गई थी । इस न्यायालय ने आयोग को 299 उप-निरीक्षक के पदों के लिए नए सिर से परीक्षा आयोजित करने और मात्र उन अपीलार्थियों जो उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याची थे या उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित थे (न्यायालय में दी गई सूची के अनुसार कुल 223) को शारीरिक परीक्षण के साथ लिखित परीक्षा में उपस्थित होने का निर्देश दिया । आयोग को उपर्युक्त निर्देश जारी करते हुए तारीख 2 फरवरी, 2011 को अपीलों का विनिश्चय किया गया ।

iv. तत्पश्चात्, इस न्यायालय ने विनिश्चित अपीलों में फाइल कतिपय अंतरिम आवेदनों पर विचार करने के पश्चात् तारीख 28 नवम्बर, 2011 के आदेश द्वारा उन सभी आवेदकों को अनुज्ञा प्रदान कर दी जो उन सभी अभ्यर्थियों के समान स्थिति में थे जिन्हें 299 उप-निरीक्षक के पदों की परीक्षा में उपस्थित होने के लिए अर्ह पाया गया था । आदेश के निम्नलिखित भाग को उद्धृत करना लाभदायक होगा :-

"..... तारीख 2 फरवरी, 2011 के पूर्वोक्त आदेश द्वारा हमने, परीक्षा में उपस्थित होने के लिए मात्र 223 अभ्यर्थियों को ही अनुज्ञा दी थी । किन्तु अब, आवेदनों का परिशीलन करने और पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल को सुनने के पश्चात्, हम उन सभी आवेदकों को अनुज्ञा देना समुचित समझते हैं जो समान स्थिति में हैं और उन अभ्यर्थियों को भी जो 299 पुलिस उप-निरीक्षक के पदों पर परीक्षा देने के लिए उपस्थित होने के लिए अर्ह हैं । एकरूप मानक सभी अभ्यर्थियों में लागू होगा और उपर्युक्त पदों के लिए उपस्थित होने वाले सभी अभ्यर्थियों को समान रूप से शारीरिक और लिखित परीक्षा देना होगा ।"

v. इस न्यायालय के तारीख 2 फरवरी, 2011 के आदेश के अनुसरण में 299 पदों को भरने के लिए तारीख 28 जून, 2011 को विज्ञापन सं. 704/511 जारी किया गया था । चयन प्रक्रिया के लिए विज्ञापन में निम्नलिखित उपबंधित था जिनमें समाविष्ट था –

क. शारीरिक मानक और परीक्षा,

ख. लिखित परीक्षा

शारीरिक परीक्षण में सफल घोषित अभ्यर्थियों को वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा देना अपेक्षित था ।

vi. जैसा कि उपर्युक्त उल्लिखित किया गया है, 2004 के विज्ञापन के चयन के अनुसरण में 1510 + 639 अर्थात् 2149 अभ्यर्थियों की चयन सूची का परिणाम घोषित किया गया और उनकी नियुक्तियां की गईं । उच्च न्यायालय ने एक रिट याचिका में उन अधिक पिछड़े वर्ग से संबंधित 67 अभ्यर्थियों को नियुक्त करने का आदेश भी जारी किया था जिन्हें गलत तौर पर छोड़ दिया गया था । राज्य ने उन 67 अभ्यर्थियों को भी नियुक्त किया और उन्हें भी बनाए रखा जिन्हें 186 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्त करने का विनिश्चय करते समय हटा दिया गया था । उच्च

न्यायालय के समक्ष 186 अभ्यर्थियों की नियुक्ति को चुनौती दी गई थी और अंततोगत्वा मामला इस न्यायालय के समक्ष आया जिसमें इस न्यायालय ने तारीख 15 अगस्त, 2005 को यथा स्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था ।

vii. तारीख 28 नवम्बर, 2011 के वर्गीकरण को ध्यान में रखते हुए 299 पदों के लिए पृथक् चयन में, 2479 अभ्यर्थियों का चयन प्रक्रिया में भाग लेना अपेक्षित था । इस न्यायालय ने 2007 की सी. ए. सं. 2795-2797 में और अन्य संबंधित मामलों में, तारीख 5 मई, 2017 के आदेश द्वारा शारीरिक परीक्षण के साथ प्रक्रिया जारी करने का आदेश पारित किया था । इस न्यायालय के नोटिस में यह लाया गया था कि मात्र 2192 अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षण के लिए चयन में उपस्थित हुए थे जिनमें से मात्र 232 अभ्यर्थियों ने अर्हता प्राप्त की और अंततोगत्वा, 299 पदों के चयन की प्रक्रिया में मात्र 97 अभ्यर्थी ही अंतिम रूप से चयनित हुए थे । इस न्यायालय ने उन 97 अभ्यर्थियों को नियुक्त करने की अनुज्ञा दी थी और उन 186 अभ्यर्थियों को भी नियुक्त करने की अनुज्ञा दी थी जिन्हें राज्य ने 67 अधिक पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी को समायोजित करने के लिए नियुक्त करने का विनिश्चय किया था ।

viii. बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जिन्होंने 2011 की विज्ञापन सं. 511 के अनुसरण में आवेदन किया था, शारीरिक परीक्षण में उपस्थित नहीं हुए और उनमें से अधिकतर जो उपस्थित हुए थे असफल घोषित हुए थे । सभी रिट याची, वे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 2011 की विज्ञापन सं. 511 के अनुसरण में आवेदन किया था जो या तो शारीरिक परीक्षण में भाग नहीं लिए थे या भाग लिए थे और असफल हो गए थे । इस न्यायालय ने तारीख 14 सितम्बर, 2017 को 2017 की सी. ए. सं. 2795-2797 में यह निर्देश दिया है कि 1035 अभ्यर्थियों को जो चयन के लिए उपस्थित नहीं हुए थे, शारीरिक परीक्षण के अध्यधीन जिनमें 133 अभ्यर्थी भी सम्मिलित हैं, यदि वे अन्यथा सम्मिलित नहीं हैं तो उन्हें शारीरिक

परीक्षण देने की अनुज्ञा दी जाए ।

ix. 2017 की सी. ए. सं. 2805 और 2017 की सी. ए. सं. 2806-2810 में अवमान याचिकाएं फाइल की गई थीं जिसमें अपीलों का निपटारा 2007 की सी. ए. सं. 2795-2797 के साथ तारीख 14 सितम्बर, 2017 को किया गया था । इस न्यायालय ने तारीख 8 मई, 2017 के अपने आदेश के प्रति निर्दिष्ट किया और यह मत अपनाया कि इस न्यायालय ने विनिर्दिष्ट संवर्ग में से 133 अभ्यर्थी को चिन्हित और वर्गीकृत किया है और उन्हें 186 अभ्यर्थियों के साथ रखा है, इसलिए, 133 अभ्यर्थियों के लिए सिवाय चिकित्सीय परीक्षण के कोई अन्य प्रक्रिया नहीं अपनाई जा सकती है । इस न्यायालय ने यह मत अपनाया कि 133 अभ्यर्थियों को एक अन्य लिखित परीक्षा और शारीरिक योग्यता परीक्षण में भाग लेने की अनुज्ञा नहीं दी जानी चाहिए । उक्त आदेश, संविधान, 1950 के अनुच्छेद 142 के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करते हुए पारित किया गया था और इसे पूर्व-न्याय के रूप में नहीं समझे जाने का कथन किया गया था ।

x. कतिपय आवेदकों ने भी अवमानना याचिका में पक्षकार बनाए जाने के लिए आवेदन फाइल किया जिन्हें उस अवमान प्राधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन करने की अनुज्ञा दी गई जिन्हें उक्त अभ्यावेदन को विनिश्चय करने का निर्देश दिया गया था । 133 अभ्यर्थियों जो इस न्यायालय के आदेश में निर्दिष्ट थे और तारीख 24 अक्तूबर, 2018 के आदेश में शारीरिक परीक्षण के अध्यधीन नहीं थे उन्हें विज्ञापन सं. 511/2011 के अनुसरण में पुलिस उप-निरीक्षक के रूप में नियुक्ति दी गई । 133 अभ्यर्थियों की नियुक्ति के पश्चात् जो शारीरिक परीक्षण के अध्यधीन नहीं थे जो इन रिट याचिकाओं में याची हैं, ने आयोग और सरकार के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया यह दावा करते हुए कि उनके साथ ही साथ 133 अभ्यर्थी भी उस 233 मूल अभ्यर्थियों की सूची के भाग हैं जिन्हें इस न्यायालय के तारीख 2 फरवरी, 2011 के आदेश द्वारा 299 पदों के विरुद्ध चयन में भाग लेने की अनुज्ञा दी गई

थी, और शारीरिक परीक्षण नहीं देने का लाभ दिया गया था जिसे इस न्यायालय के आदेश द्वारा 133 अभ्यर्थियों तक विस्तारित किया गया था, याचियों तक भी विस्तारित किया जाना चाहिए और याचियों को भी पुलिस उप-निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए जैसा कि 133 अभ्यर्थियों को नियुक्त किया गया था । याचियों द्वारा कतिपय अभ्यावेदन दिए गए थे । याचियों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया गया । अतएव, याचियों ने इन रिट याचिकाओं को फाइल किया है । 2019 की रिट याचिका सं. 227 में रिट याची द्वारा निम्नलिखित प्रार्थना की गई है :-

"प्रार्थना

इसलिए, यह अत्यधिक आदरपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि इस माननीय न्यायालय से निम्नलिखित दया की अपेक्षा की जाती है :-

(क) उन 133 अभ्यर्थियों जो 223 अभ्यर्थियों/याचियों के मूल भाग थे, जैसा कि इस माननीय न्यायालय द्वारा 2011 की सिविल अपील सं. 1240-44 में तारीख 2 फरवरी, 2011 के आदेश द्वारा निर्देश दिया गया था, के समान याची को नियुक्ति पत्र जारी करने के लिए प्रत्यर्थियों के विरुद्ध परमादेश का रिट या अन्य कोई समुचित रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए ।

(ख) उसी तरह की परीक्षण अर्थात् चिकित्सीय परीक्षण जैसा कि उन 133 अभ्यर्थियों द्वारा दिया गया है जिन्हें नियुक्ति पत्र जारी किया गया है और अब वे प्रशिक्षण ले रहे हैं, याचियों से लेने के लिए प्रत्यर्थियों के विरुद्ध परमादेश का रिट या कोई अन्य समुचित रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए ।

(ग) कोई अन्य आदेश या निर्देश पारित किया जाए, जिसे इस माननीय न्यायालय द्वारा मामले के तथ्यों और

परिस्थितियों में तथा न्याय के हित में ठीक और समुचित समझा जाए ।

और माननीय न्यायालय के इस कृपा के लिए याची प्रत्येक प्रार्थना के लिए कर्तव्यबद्ध होंगे ।

द्वारा लेखबद्ध	द्वारा फाइल
एम. एम. सिंह	रामेश्वर प्रसाद गोयल
अधिवक्ता	याचियों के अधिवक्ता

लेखबद्ध : तारीख 15 जनवरी, 2019

फाइल : तारीख 24 जनवरी, 2019

3. राज्य द्वारा फाइल प्रति-शपथपत्र में, यह कथन किया गया है कि याची न तो पुलिस उप-निरीक्षक के रूप में नियुक्त होने के हकदार हैं न ही वे उन 133 अभ्यर्थियों के साथ किसी समानता का दावा कर सकते हैं जिन्हें इस न्यायालय द्वारा विशेष संवर्ग के रूप में समझा गया है जिनके पक्ष में संविधान, 1950 के अनुच्छेद 142 के अधीन आदेश पारित किया गया है, विशिष्टतया, यह उल्लेख करते हुए कि उनकी नियुक्ति के लिए निर्देश का आदेश, पूर्व-निर्णय के रूप में नहीं समझा जाएगा । यह भी कथन किया गया है कि याची या तो शारीरिक परीक्षण में असफल हो गए हैं या उन्होंने विज्ञापन सं. 511/2011 के अनुसरण में, शारीरिक परीक्षण नहीं दिया है, अतएव, वे नियुक्त होने के लिए दावा नहीं कर सकते हैं । छूट, जिसे इस न्यायालय द्वारा 133 अभ्यर्थियों के लिए चिन्हित किया गया था उनका दावा वे सभी अभ्यर्थी नहीं कर सकते हैं जो 299 पुलिस उप-निरीक्षक पदों के विरुद्ध चयन में सफल नहीं हो सके हैं ।

4. आयोग ने भी प्रति-शपथपत्र फाइल किया है, जहां यह अभिवाक् किया गया है कि इस न्यायालय के तारीख 24 अप्रैल, 2017 और तारीख 8 मई, 2017 के आदेशों के पश्चात् कुल 3,227 अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षण में उपस्थित होने के लिए अर्ह पाए गए थे और मात्र 2192 अभ्यर्थी ही चयन के लिए उपस्थित हुए थे । पैरा 10(छ) में निम्नलिखित अभिवाक् किया गया है :-

"10(छ). कि इस माननीय न्यायालय द्‌वारा पारित तारीख 20 अप्रैल, 2017 और तारीख 8 मई, 2017 के आदेशों के अनुपालन में, कुल 3227 अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षण में उपस्थित होने के लिए अर्ह पाए गए थे और 2192 अभ्यर्थी चयन के लिए उपस्थित हुए । उनमें से 232 अभ्यर्थियों ने शारीरिक परीक्षण उत्तीर्ण किया और अंतिम तौर पर, उनमें से 97 अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की । यह प्रतीत होता है कि वर्तमान रिट याचियों ने या तो शारीरिक परीक्षण या लिखित परीक्षा में भाग नहीं लिया था और यदि उन्होंने भाग लिया था तो वे प्रत्यर्थियों द्‌वारा संचालित परीक्षणों में सफल नहीं हुए थे ।"

5. 2017 की रिट याचिका सं. 227 में याची के लिए उपस्थित होने वाले याची की ओर से विद्‌वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री जयंत भूषण ने तर्क दिए । श्री भूषण ने यह निवेदन किया है कि इस न्यायालय के तारीख 2 फरवरी, 2011 के आदेशों के अधीन 299 पदों के विरुद्ध चयन के लिए 233 अभ्यर्थियों की सूची दी गई थी जिस सूची में इन सभी मामलों में सभी रिट याची उन सभी 133 अभ्यर्थी के साथ सम्मिलित थे जिन्हें इस न्यायालय द्‌वारा बिना कोई शारीरिक परीक्षण कराए नियुक्त करने का निर्देश दिया गया था ।

6. यह निवेदन किया गया कि 133 अभ्यर्थियों ने उन 186 अभ्यर्थियों के साथ समानता का दावा किया है जिन्हें बिहार राज्य द्‌वारा कोई परीक्षण किए बिना नियुक्त करने का विनिश्चय किया गया था, इसलिए, उन्हीं फायदों को याचियों तक विस्तारित किए जाने की ईप्सा की गई है क्योंकि वे भी उन 133 अभ्यर्थियों के समान स्थिति में है जिन्हें 299 उप-निरीक्षक के पदों के चयन के विरुद्ध नियुक्त करने का निर्देश दिया गया है ।

7. श्री भूषण ने यह निवेदन किया है कि यद्‌यपि, याची विज्ञापन सं. 511/2011 के अनुसरण में शारीरिक परीक्षण में उपस्थित नहीं हुए थे किन्तु पद अब भी उपलब्ध हैं जिस पर वे नियुक्त किए जा सकते हैं । श्री भूषण ने यह निवेदन किया है कि अब भी 67 पद रिक्त हैं जिन पर सभी याचियों को समायोजित किया जा सकता है ।

8. कुछ याचियों की ओर से उपस्थित होने वाले ज्येष्ठ अधिवक्ता श्रीमती ऐश्वर्या भाटी ने श्री भूषण के तर्कों को अपनाते हुए, यह दलील दी है कि जब छूट का लाभ 133 अभ्यर्थियों को मंजूर किया गया था तब उन्होंने वर्ष 2004 की चयन प्रक्रिया के अनुसरण में, शारीरिक परीक्षण उत्तीर्ण की थी । इसलिए, इन याचिकाओं में याचियों को भी वैसा ही अवसर दिया जाना चाहिए ।

9. विद्वान् काउंसेल श्री चिन्मय प्रताप शर्मा ने यह निवेदन किया है कि याची, वर्ष 2004 की चयन प्रक्रिया के अनुसरण में, सभी प्रकार से शारीरिक परीक्षण के अध्यधीन है और जो उसी प्रकार का लाभ लेना चाहते हैं जिसे शारीरिक परीक्षण में भाग नहीं लेने वाले 133 अभ्यर्थियों को विस्तारित किया गया है ।

10. श्री अमित पवन ने यह निवेदन किया है कि याची, वर्ष 2011 की चयन प्रक्रिया में उसी समूह से संबंधित है । उन्होंने यह निवेदन किया कि याचियों में से कुछ याचियों के अंक, 133 अभ्यर्थियों के मुकाबले अधिक हैं ।

11. याचियों के विद्वान् काउंसेल श्री कुंदन कुमार मिश्रा, श्री आनंद नंदन और अन्य काउंसेलों ने उन्हीं तर्कों को अपनाया ।

12. आयोग के विद्वान् काउंसेल ने यह निवेदन किया है कि इस न्यायालय द्वारा पारित तारीख 24 अक्तूबर, 2018 का आदेश, मात्र 133 अभ्यर्थियों तक ही सीमित था और इस न्यायालय ने स्पष्टत: यह कथन किया है कि इस आदेश को पूर्व-निर्णय के रूप में नहीं समझा जाएगा, और कोई अन्य व्यक्ति इसके फायदे का दावा नहीं कर सकता है । उन्होंने यह पुन: दोहराया कि याची वे अभ्यर्थी हैं जो या तो वर्ष 2011 की चयन प्रक्रिया के अनुसरण में शारीरिक परीक्षण में उपस्थित नहीं हुए थे या उपस्थित हुए थे और असफल हो गए थे । चूंकि, उनके नाम उन 97 अभ्यर्थियों की चयनित सूची में सम्मिलित नहीं थे जो चयन सूची, शारीरिक परीक्षण और लिखित परीक्षा संचालित कराने के पश्चात् तैयार की गई थी ।

13. हमने, पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल के निवेदनों पर विचार किया और अभिलेखों का परिशीलन किया ।

14. सभी रिट याचियों ने 299 पुलिस उप-निरीक्षक के पदों के लिए तारीख 28 जून, 2011 के विज्ञापन के अनुसरण में उप-निरीक्षक के पद पर नियुक्त करने का दावा किया है । आयोग ने सुस्पष्टतः, यह अभिवाक् किया है कि रिट याचिकाओं के इस बैच में सभी याची वे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने या तो 299 पदों के विरुद्ध चयन के लिए शारीरिक परीक्षण में भाग नहीं लिया है या उन्होंने भाग लिया है और असफल हो गए हैं । 2017 की अवमान याचिका सं. 2806-2810 में 2018 की अवमान याचिका सं. 14-18 में सुनवाई करते समय, इस न्यायालय ने 133 अभ्यर्थियों के बारे में निम्नलिखित मत व्यक्त किया है :-

> "…. प्रत्यर्थियों के विद्वान् काउंसेल श्री शिवम सिंह के प्रभावी तर्कों की सुनवाई करने के पश्चात् हम, प्रत्यर्थियों की ओर से कोई दुराग्रही आचरण देखने में कठिनाई महसूस करते हैं । तथापि, हम यह महसूस करते हैं कि न्याय के हित में विवाद्यक का इस प्रकार स्पष्टीकरण किए जाने की आवश्यकता है जिससे कि लंबे मुकदमेबाजी से मुक्ति मिल सके । हमारे तारीख 14 सितम्बर, 2017 के निर्णय के पैरा 10 पर, हमने यह स्पष्ट किया है कि 133 अभ्यर्थी, पैरा 9 पर निर्णय में निर्दिष्ट 1035 अभ्यर्थियों के भाग रूप भी होंगे । अब मात्र यह विवाद्यक शेष रह जाता है कि क्या उन 133 अभ्यर्थियों को जिन्होंने वर्ष 2006 में आयोजित शारीरिक अर्हता परीक्षण उत्तीर्ण कर लिया था, अब हमारे तारीख 14 सितम्बर, 2017 के निर्णय के अनुपालन में, शारीरिक अर्हता परीक्षण के अध्यधीन रखा जाना चाहिए । यह विवादित नहीं है कि 186 अभ्यर्थियों के मामले में, वर्ष 2004 में आरंभ उप-निरीक्षकों के पदों के चयन के संबंध में, वे नियुक्ति की प्रक्रिया में मात्र चिकित्सीय अर्हता परीक्षण के अध्यधीन थे, क्योंकि उन्होंने वर्ष 2006 में शारीरिक अर्हता परीक्षण पहले ही उत्तीर्ण कर लिया था । विद्वान् काउंसेल श्री शिवम सिंह ने यह निवेदन किया है कि ऐसा

मात्र उच्च न्यायालय और इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसरण में ही हुआ था ।

हम, उन 133 अभ्यर्थियों के मामले में कोई भिन्न आधार लेने में कोई न्यायोचितता नहीं पाते हैं जिन्होंने वर्ष 2006 में शारीरिक अर्हता परीक्षण पहले ही उत्तीर्ण कर लिया है । इसलिए, वर्ष 2017/2018 में उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया के समय पर, उन्हें 186 अभ्यर्थियों द्वारा किए गए मात्र उसी परीक्षण के अध्यधीन रखने की आवश्यकता है ... ।"

15. आगे, तारीख 24 अक्तूबर, 2018 के अपने आदेश में, इस न्यायालय ने 2017 की अवमान याचिका सं. 2805 में 2018 की अवमान याचिका (सिविल) सं. 22 में 2018 की अवमान याचिका सं. 1711 में, पैरा 4 में निम्नलिखित आदेश पारित किया :-

"4. इसलिए, हम, आदेश को पुन: खोलने की कोई न्यायोचितता नहीं पाते हैं और राज्य तथा चयन आयोग को यह अनुज्ञा नहीं देते हैं कि वे उन 133 अभ्यर्थियों को एक अन्य लिखित परीक्षा और शारीरिक अर्हता परीक्षण के अध्यधीन रखे जिनका निस्संदेह, साधारण प्रक्रिया में चयन हुआ है । इस न्यायालय ने विनिर्दिष्ट संवर्ग में से 133 अभ्यर्थियों को चिन्हित और वर्गीकृत किया है और उन्हें उन 186 अभ्यर्थियों के साथ रखा है, इसलिए, उनके लिए चिकित्सीय परीक्षण के अलावा कोई अन्य प्रक्रिया नहीं हो सकती है । इसलिए, इस पहलू पर सभी प्रकार के संदेहों को मिटाते हुए, हम यह स्पष्ट करते हैं कि मात्र उस शेष प्रक्रिया का ही पालन 133 अभ्यर्थियों द्वारा किया जाएगा जिसके 186 अभ्यर्थी अध्यधीन थे । राज्य और चयन आयोग को यह निर्देश दिया जाता है कि वे तारीख 1 नवम्बर, 2018 को या उसके पूर्व सकारात्मक रूप से प्रक्रिया पूरी करे और निस्संदेह उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी करे जो चिकित्सीय अर्हता परीक्षण उत्तीर्ण करने के अध्यधीन है । हम यह स्पष्ट करते हैं कि

133 अभ्यर्थियों के चयन और नियुक्ति के बारे में, यह आदेश और सभी पूर्ववर्ती आदेश, वर्ष 2004 में विज्ञापन से आरंभ मुकदमेबाजी की विशिष्ट पृष्ठभूमि में और पिछले 14 वर्षों के दौरान मुकदमेबाजी के कई चक्करों को ध्यान में रखते हुए, संविधान, 1950 के अनुच्छेद 142 के अधीन हमारी अधिकारिता के प्रयोग में पारित किए गए हैं और इन्हें पूर्व-निर्णय के रूप में नहीं समझा जाएगा ।"

16. यह न्यायालय इसे अत्यधिक स्पष्ट करता है कि 133 अभ्यर्थियों के चयन और नियुक्ति के संबंध में इस न्यायालय का आदेश, संविधान, 1950 के अनुच्छेद 142 के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करते हुए, मुकदमे की विशिष्ट पृष्ठभूमि में पारित किया गया है और इसे पूर्व-निर्णय के रूप में नहीं समझा जाएगा ।

17. याचियों ने यह दावा किया है कि उन्हें शारीरिक परीक्षण के अध्यधीन नहीं होने का वही फायदा विस्तारित की जानी चाहिए जैसी छूट 133 अभ्यर्थियों के संबंध में मंजूर की गई है । याचियों के इस दावे को स्वीकार नहीं करने का एक से अधिक कारण है । प्रथमत:, 133 अभ्यर्थियों के संबंध में शारीरिक परीक्षण के अध्यधीन उन्हें नहीं रखने का विशिष्ट आदेश दिया गया है और शारीरिक परीक्षण के बिना उनकी नियुक्ति का आदेश दिया गया है जिसे इस न्यायालय ने सुस्पष्टत:, यह अभिनिर्धारित किया है कि इसे पूर्व-निर्णय के रूप में नहीं समझा जाएगा । आदेश, जब विनिर्दिष्टत:, यह अभिनिर्धारित करता है कि इसे पूर्व-निर्णय के रूप में नहीं समझा जा सकता है तो वर्तमान रिट याचिकाओं में रिट याची द्वारा उक्त आदेश के फायदे का दावा नहीं किया जा सकता है, विनिर्दिष्टत: तब जब अन्यथा रिट याची इस न्यायालय का यह समाधान करने में समर्थ नहीं रहे हैं कि जब उन्होंने या तो शारीरिक परीक्षण नहीं दिया है या शारीरिक परीक्षण में असफल रहे हैं तो क्यों उन्हें इस प्रक्रम पर, पुलिस उप-निरीक्षक के रूप में नियुक्ति दी जानी चाहिए ।

18. आयोग द्वारा फाइल प्रति-शपथपत्र में, सुस्पष्टत: यह कथन

किया गया है कि 299 पदों के विरुद्ध चयन के लिए 2192 अभ्यर्थी चयन के लिए उपस्थित हुए थे और मात्र 232 अभ्यर्थियों ने ही शारीरिक परीक्षण उत्तीर्ण किया है । इस न्यायालय द्वारा 2017 की अवमान याचिका सं. 2795-2797 में पारित तारीख 14 सितम्बर, 2017 के आदेश में भी उन अभ्यर्थियों की संख्या उल्लिखित की गई है जो 299 पदों के लिए चयन प्रक्रिया के लिए अध्यधीन थे जिनकी संख्या 2479 अभ्यर्थी उल्लिखित है । इस न्यायालय के तारीख 14 सितम्बर, 2017 के आदेश से, यह भी स्पष्ट होता है कि 1035 अभ्यर्थी चयन के लिए उपस्थित नहीं हुए थे, इस न्यायालय ने उन्हें भी शारीरिक परीक्षण देने का निर्देश दिया था, इस प्रकार, बड़ी संख्या में वे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने शारीरिक परीक्षण नहीं दिया या शारीरिक परीक्षण दिया और असफल हो गए थे । उन सभी अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए निर्देश देना जिनमें याची भी सम्मिलित हैं, जिन्होंने शरीरिक परीक्षण नहीं दिया है या दिया है और असफल हो गए हैं, अंतहीन प्रक्रिया होगी और ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या हजारों से अधिक है जो यह दावा कर सकते हैं कि यद्यपि, उन्होंने 299 पदों के चयन के अनुसरण में, शारीरिक परीक्षण नहीं दिया है या शारीरिक परीक्षण में असफल हो गए हैं, उन्हें भी 133 अभ्यर्थियों के समान स्थिति होने के नाते नियुक्त किए जाने चाहिए ।

19. इस न्यायालय ने तारीख 1 नवम्बर, 2018 को एक अन्य आदेश भी पारित किया है । यह उल्लिखित करना भी सुसंगत है कि कतिपय अभ्यर्थियों जिनमें से कुछ हमारे समक्ष याची हैं, ने भी 2017 की अवमान याचिका सं. 2805 में 2018 की अवमान याचिका सं. 1711 में पक्षकार बनाने के लिए आवेदन फाइल किया था जिसे तारीख 1 नवम्बर, 2018 को नामंजूर कर दिया था और तारीख 1 नवम्बर, 2018 के आदेश में, यद्यपि, यह भी मत व्यक्त किया गया था कि आवेदक, बिहार राज्य के समक्ष सद्भावपूर्वक अपील करने के लिए अभ्यावेदन करने को स्वतंत्र हैं और बिहार राज्य उस पर विचार करने के लिए स्वतंत्र हैं किन्तु उस दशा में यदि अभ्यावेदन नामंजूर कर दिया जाता है तो इससे किसी भी न्यायालय में, कोई कार्यवाही/अपील करने का अधिकार उद्भूत नहीं होगा :-

"…. कुछ हस्तक्षेपकर्ताओं/आवेदकों की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल श्री एस. नागामूत्थु और अन्य काउंसेल ने उसी अनुतोष की प्रार्थना की है जिसे 133 अभ्यर्थियों को मंजूर किया गया है ।

उक्त आवेदक बिहार राज्य के समक्ष सद्भावपूर्वक अपील करने के लिए अभ्यावेदन करने को स्वतंत्र हैं । बिहार राज्य उस पर विचार करने और विधि के अनुसरण में समुचित आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र है । यदि, आज से एक माह के भीतर हस्तक्षेपकर्ताओं/आवेदकों द्वारा ऐसे अभ्यावेदन किए जाते हैं तो इसके पश्चात्, राज्य द्वारा तीन माह के भीतर उन अभ्यावेदनों पर समुचित आदेश पारित किए जा सकते हैं । तथापि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि यदि उनके अभ्यावेदन नामंजूर कर दिए जाते हैं तो इससे उन्हें किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही/अपील करने का अधिकार उद्भूत नहीं होगा ।"

20. इस प्रकार, इस न्यायालय द्वारा पारित तारीख 1 नवम्बर, 2018 का आदेश, स्पष्टत: यह उपदर्शित करता है कि उस दशा में यदि बिहार राज्य द्वारा 133 अभ्यर्थियों के समान अनुतोष का दावा करते हुए आवेदकों के अभ्यावेदन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है तो इससे उन्हें किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही करने का अधिकार उद्भूत नहीं होगा । हम, संविधान, 1950 के अनुच्छेद 32 के अधीन इन कार्यवाहियों में उक्त अनुतोष को मंजूर करना स्वीकार नहीं करते हैं ।

21. पूर्ववर्ती चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हमारा यह मत है कि याची उन अनुतोषों को पाने के हकदार नहीं हैं जैसा कि रिट याचिकाओं में दावा किया गया है । सभी रिट याचिकाएं खारिज की जाती हैं ।

रिट याचिकाएं खारिज की गईं ।

क.